

## न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

## उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली - प्रार्थी

## बनाम

1. कलुआ पुत्र श्री चिरमोली  
 2. श्रीमती गोरधनी पत्नि स्व. चिरमोली (फौत-नाम हजफ)  
 जतियान कोली निवासीयान छावर तहसील मासलपुर जिला करौली - अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक-31.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 178/3 रकबा 0-17 बीघा ग्राम छावर तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 178/3 रकबा 0-17 बीघा ग्राम छावर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2045-48 तक के खाता संख्या 148 में किस्म बारानी-3 श्री चिरमोली पुत्र लौहरे जाति कोली निवासी मासलपुर के नाम जरिये आवंटन नामांतरकरण संख्या 233 से दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री कलुआ पुत्र चिरमोली व श्रीमती गोरधनी वेबा चिरमोली जाति कोली निवासी छावर को विरासत से जरिये नामांतरकरण संख्या 276 दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में कलुआ पुत्र चिरमोली व श्रीमती गोरधनी वेबा चिरमोली जाति कोली निवासी छावर दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 178/3 रकबा 0-17 बीघा बाके ग्राम छावर को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2048-48, 2069-72, 2073-76 नामांतरकरण संख्या 233/12.02.87 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 के फौत होने एवं उसके वारिस के पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हजफ किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया का आराजी खसरा नं. 174 व आराजी खसरा नं. 178/3 बाके ग्राम छावर तहसील मासलपुर जिला करौली पर 50 वर्षों से काबिज है। उक्त जमीन काश्ता भूमि है। प्रार्थीगण 30-35 वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त जमीन नदी, नाला अंकित कर यह कार्यवाही करवाई गई है जबकि जमाबंदी में काश्ता भूमि है। प्रार्थी


को गलत नोटिस दिया गया है। उक्त जमीन काश्त की भूमि है। कहीं पर नदी, नाले अंकित नहीं है ना मौके पर नदी नाले हैं। अंत में रेफरेन्स खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 178 रकबा 9-00 बीघा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 233 द्वारा श्री चिरमोली पुत्र लोहरे जाति कोली निवासी छावर तहसील मासलपुर के नाम जरिये आवंटन दर्ज की गई है। तत्पश्चात् श्री कलुआ पुत्र चिरमोली व श्रीमती गोर्धनी वेबा चिरमोली जाति कोली निवासी छावर को विरासत से जरिये नामांतरकरण संख्या 276 दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में श्री कलुआ पुत्र चिरमोली व श्रीमती गोर्धनी वेबा चिरमोली जाति कोली निवासी छावर के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय की पालना अपेक्षित है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम छावर की आराजी खसरा नंबर 178/3 रकबा 0-17 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर

करौली